



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32651

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2007/2026

रमाकांत याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : शशांक कुमार, तेज प्रकाश यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. नए मामलों की सूची संशोधित की गई है, याची की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है जबकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3/गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती उपस्थित हैं।
2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना प्रत्यर्थी संख्या 2/सहायक कलक्टर/तहसीलदार, तहसील बांसगाँव, जगपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत वाद संख्या-1844/2025 (ग्राम सभा बनाम राम प्रकाश) को निर्णीत करने का निर्देश देने के लिए है।
3. मामले के अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही राम प्रकाश के विरुद्ध शुरू की गई थी, जबकि वर्तमान याचिका रमाकांत द्वारा दायर की गई है। पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि वर्तमान याचिका दायर करने के लिए याची का 'लोकस' (अधिकार क्षेत्र) क्या है।
4. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय की यह राय है कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
5. चूंकि संशोधित सूची में भी याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, इसलिए वर्तमान याचिका अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 13, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"